"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 81] रायपुर, सोमवार, दिनांक 10 फरवरी 2020 — माघ 21, शक 1941

खनिज साधन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 6 फरवरी 2020

अधिसूचना

क्रमांक एफ 7–19/2015/12.— खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957 (1957 का सं. 67) की धारा 9ख, धारा 15 की उप–धारा (4) एवं धारा 15क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

1 नियम 22 में, उप–नियम (3) में, खण्ड (ज) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :–

"(झ) मूलभूत सुविधायें – प्रदेश के अनुसूचित क्षेत्रों में रहने वाले सभी खनन प्रभावित व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक उत्थान एवं उनके जीवन यापन के लिए मूलभूत सुविधाओं जैसे आवास, महिलाओं एवं बच्चों के लिए वस्त्र एवं अन्य आवश्यक घेरलु सामग्री आदि प्रदान किये जाने हेतु अन्य प्राथमिकता क्षेत्रों के अंतर्गत निर्धारित राशि में से अधिकतम पांच प्रतिशत राशि का व्यय किया जा सकेगा।"

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

अटल नगर, दिनांक 6 फरवरी 2020

क्रमांक एफ 7–19/2015/12.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग के अधिसूचना क्रमांक एफ 7–19/2015/12, दिनांक 06–02–2020, का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., सचिव.

Atal Nagar, the 6th February 2020

NOTIFICATION

No. F 7-19/2015/12.— In exercise of the powers conferred by Section 9B, sub-section (4) of Section 15 and Section 15A of the Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (No. 67 of 1957), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh District Mineral Foundation Trust Rules, 2015, namely:-

AMENDMENT

In the said rules,-

1. In rule 22, in sub-rule (3), after clause (h), the following shall be added, namely:-

"(i) Basic Facilities :- Maximum five percent of the funds earmarked under the other priority areas may be spent for providing the basic facilities like housing, dress materials for women and children and other essential household materials etc. on mining affected people living in the Scheduled areas of the State for social, economic upliftment and their livelihood."

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANBALAGAN P., Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2020.